26

S. NO. (I)

DS 73

(5)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

सं0प0 9(17)कार्मिक / क–5 / 95पार्ट जयपुर, दिनांक 4-9-2008

समस्त जिला कलेक्टर।

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं उनके सत्यापन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समाज कल्याण विभाग के परिपत्र क्रं0प 11(9)( )आरएण्डपी / सकवि / 22422–48 दिनांक 4.4.90 (प्रति संलग्न) का अवलोकन कर जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचितजन जाति वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं उनके सत्यापन के सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी किये गये है ।

उक्त परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी जारी प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित व्यक्ति का पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं एवं फोटो को सत्यापित करें । इसके अतिरिक्त समस्त प्राधिकृत अधिकारी अपने यहा एक पंजीका संधारित करे जिसमें जाति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो सहित नाम, पता प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक अंकित करें तथा प्रार्थी के प्राप्ति के हस्ताक्षर लेने के बाद प्रमाण पत्र जारी करे ।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें एवं आपके अधिनस्थ जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

शासन उप सचिव

तहसीलदार
पीसांगन (अजमेर)